

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 254*

जिसका उत्तर मंगलवार, 15 मार्च, 2016 को दिया जाना है

कारों में अनिवार्य रूप से एयर बैग लगाया जाना

254*. श्री पिनाकी मिश्रा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में विनिर्मित प्रत्येक यात्री कार में एयर बैग का प्रावधान किए जाने को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का विचार चालक/यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मामले को कार विनिर्माता संघ के साथ उठाने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) यात्री कारों में बैठने वाले व्यक्तियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अनंत ग. गीते)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

"कारों में अनिवार्य एयर बैग लगाया जाना " के बारे में श्री पिनाकी मिश्रा द्वारा पूछे गए दिनांक 15.03.2016 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 254* के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जो केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988/केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 को प्रशासित करता है, ने सूचित किया है कि वर्तमान सरकार का प्रत्येक यात्री कार में एयर बैग लगाने के प्रावधान को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की दिनांक 28 अप्रैल 2015 की का.आ. अधिसूचना सं 1139 (ई) और दिनांक 3 सितंबर, 2015 के का.आ. 2412 (ई) में कुछ सुरक्षा प्रावधानों को अनिवार्य बनाया गया है जिनका विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग): कार रखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक-एक करके कुछ अन्य उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। सीट बेल्ट विनियमन और सीट बेल्ट एंकोरेज विनियमन को पहले ही अप्रैल, 2005 से अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अनुसार कारों में आगे की सीट के साथ-साथ पीछे वाली सीट पर बेल्ट लगाना और उसे पहनना अनिवार्य है। शिशु नियंत्रण प्रणाली को भी अक्टूबर, 2015 से अनिवार्य कर दिया गया है।

इसके अलावा, इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स सोसायटी (सियाम) ने सूचित किया है कि वाहनों के लिए 60 से भी अधिक अनिवार्य सुरक्षा परीक्षण निर्धारित किए गए हैं, जिनमें यात्री कारों में सभी सुरक्षा पैरामीटर शामिल हैं।

अनुबंध

सुरक्षा प्रावधान	मानक	प्रारंभण / वैधता की तारीख
(क) स्टीयरिंग प्रभाव अपेक्षा	आई एस 11939:1996, इसमें विनिर्दिष्ट वाहनों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित	13 दिसंबर 2004 और 5 (ख) के कार्यान्वयन की तारीख तक वैध।
(ख) आमने-सामने की टक्कर में वाहन के स्टीयरिंग तंत्र के व्यवहार के लिए अपेक्षाएं	एआईएस-096/2008, इसमें विनिर्दिष्ट वाहनों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित	नए मॉडल - 1 अक्टूबर 2017 सभी मॉडल - 1 अक्टूबर, 2019
(ग) ऑफसेट फ्रंटल कोलिजन में यात्रियों की सुरक्षा	एआईएस-098/2008, इसमें विनिर्दिष्ट वाहनों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित	नए मॉडल - 1 अक्टूबर 2017 सभी मॉडल - 1 अक्टूबर, 2019
(घ) सभी यात्री कारों के लिए साइड डोर इम्पेक्ट	आईएस 12009:1995 समय-समय पर यथा संशोधित	13 दिसंबर 2004 और 6 (ख) के कार्यान्वयन की तारीख तक वैध।
(ङ) पीछे से टक्कर लगने की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में वाहनों की स्वीकृति	एआईएस-099/2008, इसमें विनिर्दिष्ट वाहनों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित	नए मॉडल - 1 अक्टूबर 2017 सभी मॉडल - 1 अक्टूबर, 2019
(च) मोटर वाहन के साथ टक्कर की स्थिति में पैदल चलने वालों और सड़क का उपयोग करने वाले अन्य कमजोर लोगों की सुरक्षा के संबंध में वाहन की स्वीकृति	एआईएस-100/2010, इसमें विनिर्दिष्ट वाहनों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित	नए मॉडल - 1 अक्टूबर 2017 सभी मॉडल - 1 अक्टूबर, 2020
